श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)

अग्रिम जमानत आवेदन नं0– 463/26

नगरनौसा थाना काण्ड सं0– 155/12

संजय कुमार...आवेदक

बनाम

बिहार सरकार...विपक्षी

06/06/2026 आवेदक (1) संजय कुमार उम्र 48 वर्ष, पिता ब्रह्मेश प्रसाद ग्रा0– शाहपुर, थाना नगरनौसा, जिला नालन्दा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश कुमार द्वारा संचालित किया गया। आवेदक नगरनौसा थाना कांड सं0– 155/12, दिनांक 17/12/12 को भा0द0वि0 की धारा– 341, 323, 504/34 के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदक की ओर से पूर्व में इस वाद के संबंध में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय के समक्ष या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। जॉच के दौरान यह वाद जमानतीय प्रकृति का होने के कारण इसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(ए) का लाभ दिया गया था। विद्वान अधिवक्त का आगे कथन है कि आवेदक निर्दोष है तथा कोई घटना नहीं किया है। अभियोजन कथानक झूठा, मनगढ़ंत और बनावटी है। फाबड़े से हमले का आरोप पूरी तरह से मनगढ़ंत है, जिसका चिकित्सीय साक्ष्यों से कोई समर्थन नहीं मिला है। इस वाद में सूचक और आवेदक के बीच जमीन–जायदाद के बंटबारे को लेकर तीखी बहस हुई जिसमें मॉ ने बीच में ही रोक लिया और खुद गिर गई, जिससे उसे मामूली चोट आई, तथा मामले को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया गया है। इस मामले की परिस्थितियों में भा0द0वि0 की धारा– 308 लागू नहीं होता है और अन्य धारायें जमानतीय हैं। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। आवेदक धारा– 483(2) बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित बंध पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गईं।

सूचक संजीव कुमार द्वारा थाना में दिया गया आवेदन के अनुसार करीब 5 बजे संध्या को सूचक की मॉ घर में खाना बना रही थी तथा साथ में पिताजी भी थे। सूचक का बड़ा भाई संजय कुमर घर पर आया और मॉ को गाली–गलौज करने लगा। मॉ के मना करने पर उसे पटक–पटक कर मारने लगा। जब सूचक की मॉ बेहोश हो गई तब फावड़ा से मार बैठा। जिससे सूचक की भॉ का ललाट फट गया और ऑख में गहरी चोट आई। पिताजी को भी मना करने पर उन्हें भी पटक कर लात–मुक्का से मारने लगा। जब सूचक के पिताजी हल्ला करने लगे तब वह घर से भाग गया। घटना का कारण मॉ की निजी सम्पत्ति (दान दिया हुआ बिहार शरीफ का मकान) लिखा लेने को कहता है।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक उपरोक्त नगरनौसा थाना काण्ड सं0– 155/12 प्रारम्भतः जमानतीय धाराओं में दर्ज किया गया था। तत्पश्चात अनुसंधान के कम में धारा– 308 भाद0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया तथा विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा दिनांक 03/07/2015 को आवेदक अभियुक्त संजय कुमार के विरुद्ध धारा 341, 323, 308, 504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक के विरुद्ध जमानतीय अधिपत्र निर्गत है। काण्ड दैनिकी के साथ संलग्न जख्म प्रतिवेदन में जख्मी सुनैना देवी को

अग्रिम जमानत आवेदन नं0– 463/26
नगरनौसा थाना काण्ड सं0– 155/12

साधारण प्रकृति का कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित एक जख्म सर पर पाया गया है। आवेदक के विरुध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा मूल अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि पूर्व में दोनों पक्षों के मध्य सुलह हो गया गया है। सुलहनामा दिनांक 12/01/2018 मूल अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मूल वाद को अविलम्ब निष्पादित किए जाने में सहयोग करने का भी कथन करते हैं।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को निम्न न्यायालय में आदेश प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर आत्मसमर्पण करने अथवा इस केस में गिरफ्तार होने की दशा में मो0– 10,000/– रुपए के दो प्रतिभुओं द्वारा बंध पत्र दाखिल करने पर निम्न न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर धारा– 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि 1. दो जमानतदारों में से एक जमानतदार नजदीकी रिश्तेदार होगा तथा दूसरा गॉव समाज का सम्मानित सदस्य होगा। 2. आवेदक काण्ड के साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन या धमकी नहीं देगा और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। 3. आवेदक द्वारा इस प्रकार के आपराध की पुनरावृति नहीं करेंगे। उपरोक्त शर्तों का उल्लघन करने पर आवेदक का बंध पत्र खंडिता किया जा सकेगा।

(लेखापित एवं संशोधित)

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)